रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 1994/कार्तिक 18, 1916
No. 179] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 1994/KARTIKA 18, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 251 (पीएन)/92-97

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1994

फाइल सं 9/2/93-आईपीसी. 2.—यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

अध्याय-8 में पैरा 142 के बाद निम्नलिखित नया पैरा 142-क जोड़ा जाएगा:—
"142क(1) क्षेत्र में स्थित यूनिटें या अनुमोदित 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटें जो कि थोक (बल्क) लाइसेंस धारक से अपरिष्कृत हीरे प्राप्त करना चाहती हैं,

अपने द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपरिष्कृत हीरों का मूल्य स्पष्टतः दर्शाते हुए विकास आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्र के संबंधित विकास आयुक्त को एक आवेदन पत्र (तीन प्रतियां) प्रस्तुत करेंगी। आवेदन-पत्र के साथ (बल्क) लाइसेंस धारक का प्रोफार्मा बीजक भी संलग्न होगा।

(2) संबंधित विकास प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि प्राप्त की जाने वाली सप्लाई निर्यात-उत्पादन के लिए अनिवार्य है, दो प्रतियां थोक (बल्क) लाइसेंस धारक को लौटा देंगे, जो बाद में इस पुस्तक के पैरा 140–143 की शर्तों के अनुसार आवेदनपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन करने के लिए उसे अपने लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दे देगा। तत्पश्चात् लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदनपत्र की एक प्रति आयुक्त को लौटा देगा ; और"

(3) उपरोक्त पृष्ठांकनों के आधार पर, विकास आयुक्त द्वारा क्षेत्र में अपरिष्कृत हीरों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।"

2. इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 251|(PN)|92—97

New Delhi, the 9th November, 1994

File No. 9|2|93-IPC-II.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures, 1992—97 :—

In Chapter VIII, after paragraph 142, the following new paragraph shall be added as 142A :—

"142A (1) Units located in the Zone, or approved 100% Export Oriented Units, who desire to procure rough diamonds from the bulk licence holders will make an application (in triplicate) to the concerned Development Commissioner of the Zone in a form as may be prescribed by him clearly indicating the value of the rough diamonds sought to be procured by them. The application will be accompanied by the proforma invoice from the bulk licence holder ;

(ii) The concerned Development Commissioner after certifying that the supplies sought to be procured are essential for export production will return two copies to the bulk licence holder who in turn will submit the same to his licensing authority to make necessary endorsements on the application in terms of para 140—143 of this book. Thereafter, the licensing authority will return one copy of the application to the Development Commissioner ; and

(iii) Based upon the aforesaid endorsements, the rough diamonds will be allowed entry into the Zone by the Development Commissioner."

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994